

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-457/XXVIII-1/21-01(06)2020 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 27 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, महामारी अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 तथा धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021

- | | |
|------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| विनियम 19-ख का
संशोधन | 2. उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान विनियम 19-ख(1) में स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- |

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

विनियम 19-क(1) के उल्लंघन पर शमन धनराशि :-

- प्रथम बार के उल्लंघन पर रू0 200(दो सौ रूपये मात्र);
- द्वितीय बार के उल्लंघन पर रू0 500(पांच सौ रूपये मात्र);
- तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर रू0 1000(एक हजार रूपये मात्र)
- प्रयोग किये गये मुखावरण(मास्क) के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थान/रैड बॉक्स, से इतर अथवा अन्यत्र फेंकने पर रू0 500 (पांच सौ रूपये मात्र)

उक्त विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से शमन की धनराशि वसूल करने के उपरान्त पुलिस एवं अन्य अधिकृत विभाग के द्वारा चार(04) मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

विनियम 19-क(1) के उल्लंघन पर शमन धनराशि :-

- प्रथम बार के उल्लंघन पर रू0 500(पाँच सौ रूपये मात्र);
- द्वितीय बार के उल्लंघन पर रू0 700(सात सौ रूपये मात्र);
- तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर रू0 1000(एक हजार रूपये मात्र)
- प्रयोग किये गये मुखावरण(मास्क) के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थान/रैड बॉक्स, से इतर अथवा अन्यत्र फेंकने पर रू0 500 (पांच सौ रूपये मात्र)

उक्त विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से शमन की धनराशि वसूल करने के उपरान्त पुलिस एवं अन्य अधिकृत विभाग के द्वारा चार(04) मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of provision of clause(3) of Article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no-457 dated April,27, 2021 for general information.

Government of Uttarakhand
Medical Health and Medical Education Section-1
No.-457 /XXVIII-1/21-01(06)2020 TC
Dehradun, Dated 27 April, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by section 2 and section 3 of the Epidemic Diseases Act, 1897(Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 :-

The Uttarakhand Epidemic Diseases COVID-19(Second Amendment) Regulations, 2021

Short Title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19(Second Amendment) Regulations, 2021.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of regulation 19-B 2. In the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, for existing regulation 19-B(1) as set-out in column-1 below, the regulation as set-out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1

Existing regulation

Compounding amount on violation of Regulation 19-A(1) :-

(i) On first violation Rs. 200(Two Hundred Rupees only).

(ii) On second violation Rs. 500(Five Hundred Rupees only).

(iii) On third and for every subsequent time violation Rs. 1000(One Thousand Rupees only).

(iv) A sum of Rs 500(five hundred) only, for throwing the used face cover/mask, away from the specified place/Redbox for its disposal, or at any other place.

Four(04) masks shall be provided free of cost to the person violated the said regulations after collecting the compounding amount by Police or any other authorized department.

Column-2

Regulation as hereby substituted

Compounding amount on violation of Regulation 19-A(1) :-

(i) On first violation Rs. 500(Five Hundred Rupees only).

(ii) On second violation Rs. 700(Seven Hundred Rupees only).

(iii) On third and for every subsequent time violation Rs. 1000(One Thousand Rupees only).

(iv) A sum of Rs 500(five hundred) only, for throwing the used face cover/mask, away from the specified place/Redbox for its disposal, or at any other place.

Four(04) masks shall be provided free of cost to the person violated the said regulations after collecting the compounding amount by Police or any other authorized department.

By Order,



(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-458/XXVIII-1/21-01(06)2020 टी0सी0
देहरादून : दिनांक 27 अप्रैल, 2021

अधिसूचना संख्या- 457/XXVIII-1/21-01(06)2020, दिनांक 27 अप्रैल 2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया "उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021" की अधिसूचना(हिन्दी एवं अंग्रेजी) को आगामी गजट (असाधारण) में प्रकाशित करवाते हुए अधिसूचना की 150 प्रतियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एम्स, ऋषिकेश।
12. प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
13. अधिशासी निदेशक, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।